Email.Id-hegascgwa@mp.gov.in
☎0751–2323649
govtsciencecollegegwalior2018@gmail.com

कार्यालय प्राचार्य अग्रणी श्रीमंत माधवराव सिंधिया शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय,ग्वालियर

पत्र क्र./1347/2024 ग्वालियर दिनांक 23/08/24

// संशोधित विज्ञप्ति//

दिव्यांगजनो हेतु विशेष भर्ती अभियान

दिव्यांगजनो के रिक्त पदो पर वॉक – इन– इन्टरव्यू (विशेष भर्ती) के माध्यम से पूर्ति के संबध में दिनांक 17.07.2024 के दैनिक भास्कर अंक में विज्ञप्ति क्रमांक 971/2024 ग्वालियर दिनाकं 15.07.2024 प्रकाशित की गई थी। कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र शासन सतपुडा भवन भोपाल के पत्र क्र 1163/60/न्या/आउशि/शा–3/24 भोपाल दिनाक 20.08.2024 में प्रदत्त निर्देशानुसार संशोधित विज्ञप्ति के तहत सामाजिक न्याय एवं दिव्यागंजन सशक्तिकरण विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा– निर्देशो के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत जिला ग्वालियर में निम्नानुसार दिव्यांगजनो के रिक्त पदो हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप मे अपना आवेदन दिनांक 31.08.2024 तक प्राचार्य अग्रणी श्रीमत माधवराव सिंधिया शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय ग्वालियर से नाम से संबोधित कर डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रेषित कर सकते है। डाक विलम्ब अथवा 31.08.2024 के सायकाल 06.00 बजे के बाद प्राप्त आवेदनो पर विचार नही किया जायेगा। डाक विलम्ब के लिये विभाग उत्तरदायी नही होगा। विज्ञापित पदो का विवरण वेतनमान एवं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है–

स. क्र	पदनाम /वेतनमान	पद की श्रेणी	निर्धारित शैक्षणिक योग्यता	दिव्यांगजनो के लिये आरक्षित रिक्तियां			
				अस्थि बाधित	श्रवण बाधित	दृष्टि बाधित	बहु विकलांगता
1	प्रयोगशाला परिचारक 18000–56900	चतुर्थ श्रेणी	10वी पास	–	02	–	–
2	स्वीपर 15500–49000	चतुर्थ श्रेणी	8वी पास	01	–	–	–
3	अन्य चतुर्थ श्रेणी –			–	–	–	–
	अ– लैववर्कमैन– 15500–49000	चतुर्थ श्रेणी	8वी पास	–	01	–	01
	ब– खल्लासी – 15500–49000		8वी पास	–	–	01	–
	स– भृत्य – 15500–49000		8वी पास	–	–	01	–
	द– चौकीदार – 15500–49000		8वी पास	–	01		–

नोट– 1 वॉक – इन– इन्टरव्यू तिथि की सूचना आवेदको को पृथक से उनके ई–मेल/ब्हाटसएप/मोबाईल मेसेज के माध्यम से दी जावेगी।

2 विज्ञापित पदो की संख्या कम या अधिक की जा सकती है।

3 नियुक्ति से संबधित समस्त विशेषाधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल के पास सुरक्षित होगे।

4 पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति के तहत आवेदन करने वाले आवेदको को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नही होगी। उनके द्वारा पूर्व मे जमा कराये गये आवेदन ही मान्य होगे।

5 विज्ञापन की विस्तृत शर्ते, नियम निर्देश एवं आवेदन का प्रारूप महाविद्यालय में उपस्थित होकर अथवा महाविद्यालय की बेवसाइट highereducation.mp.gov.in/collegeDisp/collegeDispindex से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्राचार्य
शा आ वि महावि ग्वालियर।

आवश्यक नियम एवं निर्देश–

1 आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं।

2 समस्त प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3 आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित है।

4 आवेदक का म.प्र मे किसी भी रोजगार कार्यालय मे जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

5 विभाग मे कार्यरत आवेदक कर्मचारी नियोजक के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

6 साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण – पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य है।

7 निः शक्तता प्रमाण पत्र संबधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय मे मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा, ऐसे दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम है वे अपात्र मान्य किये जावेगे तथा साथ ही यू डी आई डी से जारी दिव्यांगता डिजिटल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8 कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, इस पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

9 जिस आवेदक को 02 से अधिक संतान है उनमें से एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या उससे पश्चात् हुआ हो तो तव ऐसा आवेदक नियुक्त के लिये पात्र नही होगा।

10 साक्षात्कार से पूर्व संबधित पद की समस्त अर्हता /योग्यता आवेदक के पास होना आवश्यक है।

11 नियुक्ति से संबधित समस्त विशेषाधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल के पास सुरक्षित होगे।

12 सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक दिनांक 17/07/2014 के अनुसार निः शक्तता प्रमाण पत्र का परिक्षण कराया जावे

13 सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनाक 13.10.2015 के अनुसार मूक बधिर श्रेणी के निः शक्तजनो की शासकीय भर्ती से पूर्व मेडिकल बोर्ड मे बैरा टेस्ट (Bera Test) कराना अनिवार्य है।

14 मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र दिनांक 31.05.2024 की कंडिका 2.4 के अनुसार दिव्यांगजनो के लिये आरक्षित रिक्त पदो की पूर्ति वॉक – इन – इंटरव्यू के माध्यम से की जायें, यह स्पष्ट किया गया है कि वॉक – इन – इंटरव्यू से आशय साक्षात्कार के लिये पृथक से अंक दिये जाने की आवश्यकता नही है। उच्च शिक्षा विभाग के रिक्त पदो के लिये नियमों मे उल्लेखित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता के आधार पर मैरिट सूची बनायी जाकर पद पूर्ति की जाये।

15 इस विशेष भर्ती अभियान मे सामान्य प्रशासन विभाग एवं मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के समय – समय पर जारी नियम एवं निर्देश लागू किये जावेंगे।

16 विज्ञापित पदो की संख्या कम या अधिक की जा सकती है।